

**Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001**

Serial Circular No. 197/2017

No. E/PC-VII/2016/Policy (Vol. II)

Kolkata, Dated: 26/12/2017

All Concerned
(as per standard list)


Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government - Abolition of Out-turn Allowance.

Following instructions of Ministry of Railways (Railway Board) issued vide their letter No. E(P&A)I-2017/VII CPC/AL-1 dated 28/11/2017 (**PC-VII No. 78, RBE No. 176/2017**) on the above subject are communicated herewith, for information and necessary action.

DA: Hindi Version.


(U. Lahiri)

Dy. Chief Personnel Officer/R
For Pr. Chief Personnel Officer

 26/12/17 Phone no.: 24103

Copy of Railway Board's letter No. E(P&A)I-2017/VII CPC/AL-1 dated 28/11/2017 (PC-VII No. 78, RBE No. 176/2017) addressed to the GMs and PFAs/All Indian Railways & PUs.

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government - Abolition of Out-turn Allowance.

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide to abolish Out-turn Allowance with effect from 1st July, 2017.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

**Sd/- (Anil Kumar)
Dy. Director /E(P&A)-I**

Index No. 1057: Out-turn Allowance has been abolished in 7th CPC w.e.f. 01/07/2017.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 78
आरबीई सं. 176 /2017

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/VII सीपीसी/एल -1

नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2017

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना - आउट-टर्न भत्ता को समाप्त करना ।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति 01 जुलाई, 2017 से आउट-टर्न भत्ता को सहर्ष समाप्त करने का विनिश्चय करते हैं।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
3. कृपया पावती दें।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)

उप निदेशक/स्था.(पी एण्ड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/VII सीपीसी/एल -1

नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2017

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित) प्रेषित।

अनिल कुमार

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/VII सीपीसी/एल -1

नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रीआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।